न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०

पीठासीन अधिकारी

काना राम मीणा,

(RJS)

निर्णय दिनांक :— 10.03.2026

आपराधिक प्रकरण सं. 377/2016

सीआईएस नं. 1130/2016

CNR No. RJBR020011982016

परिवाद पर दर्ज, पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 427 भा0दं0सं0

PART— I

A

परिवादी	भारत कुमार पुत्र धुलीलाल निवासी तलावडा लाईन पुलिस के पास मोग्या बस्ती बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व परिवादी की ओर से	अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह हाडा
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. सतवारी पुत्र रामप्रसाद 02. जोधराज पुत्र रामप्रसाद 03. विजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासीगण तलावडा थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नागर

B

अपराध की दिनांक		12.04.2016
परिवाद दर्ज की दिनांक		26.04.2016
प्रसंज्ञान की दिनांक		23.08.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		11.07.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		11.07.2023
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		10.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	सतवारी	–	–	427 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	–	–
	जोधराज						
	विजेन्द्र						

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	भारत कुमार	परिवादी
PW2	लेखराज	औपचारिक गवाह

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	–	–

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

<u>प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श</u>

(A) <u>अभियोजन प्रदर्श</u>

क्र. सं.	**प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित**	**वर्णन**
1	Ex P1 11.07.2023 PW1	इस्तगासा

(B) <u>बचाव प्रदर्श</u>

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
–	–	–

(C) <u>न्यायालय प्रदर्श:</u>

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) <u>सारवान वस्तु एवं मालखाना</u>:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी भारत कुमार के द्वारा परिवाद इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 12.04.2016 को फरियादी व उसकी पत्नी ग्राम बराना ससुराल गए थे। तलावडा स्थित प्रार्थी का मकान जिस पर ताला लगा था तथा मकान के अंदर पूरा गृहस्थी का सामान कपडे, बिस्तर, 3 बोरी गेहूं, बर्तन व अन्य गृहस्थी का सामान रखा हुआ था। दिनांक 12.04.2016 को दिन के 12 बजे लगभग मुल्जिम सतवारी, विजेन्द्र जोधराज जेसीबी मशीन लेकर मोग्या बस्ती तलावडा पहुंचे तथा सतवारी मोग्या ने जेसीबी वाले से कहकर प्रार्थी का रिहायशी मकान पूरा गिरा दिया तथा उसमें रखे तीन बोरी गेहूं को तीनों मुल्जिमान उठाकर ले गए। प्रार्थी का मकान गिरने से इस समय प्रार्थी के पास कोई रहने का साधन नहीं रहा है। प्रार्थी दर–दर की ठोकरे खाता फिर रहा है। प्रार्थी का परिवादी बेघर हो चुका है। उक्त वाके की रिपोर्ट थाना कोतवाली बारां में करने गया तो प्रार्थी के गिरफ्तारी वारंट होने से उसमें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की क्योंकि मुल्जिम होम गार्ड में कार्यरत है। जिला पुलिस अधीक्षक बारां को दिनांक 23.04.2016 को प्रार्थना पत्र भिजवा दिया गया।

आज दिनांक तक कोई मुकदमा मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया है। मकान गिराने से 2,50,000 रूपए का नुकसान हुआ है.....इत्यादि।

2. उक्त परिवाद को दर्ज किया जाकर परिवाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म धारा 427 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिए जाने के पर्याप्त आधार होने पर बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 427 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 427 भा0दं0सं0 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. तत्पश्चात बयान मुल्जिमान अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

5. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस परिवादी अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना साक्ष्य से प्रमाणित है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुल्जिमान को प्रकरण में झूठा व रंजिशवंश फंसाया गया है, क्रोस मुकदमें से बचने के लिए यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है, मुल्जिमान के द्वारा कोई भी रिष्टी कारित नहीं की गई है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः—

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 12.04.2016 को किसी समय स्थान तलावडा बारां पर परिवादी के मकान को जेसीबी से पूरा गिराकर मकान को क्षतिग्रस्त कर पचास रूपये से अधिक की राशि का नुकसान पहुंचाकर रिष्टी कारित की। यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड का दायी है?

7. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में परिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू—01 भारत कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सन् 2016 की बात है। तारीख को उसे ध्यान नहीं है। सतवारी, विजेन्द्र, जोधराज तीनों भाई जेसीपी मशीन लेकर आए और उसके बने हुए मकान को गिरा दिया। वह उस समय किसी प्रोग्राम में गया हुआ था। उस समय वहां पर लेखराज, दीवान, हितेश मौजूद थे। मकान टूटने से उसके मकान में उसके सभी सामान थे जो टूट गए थे। उसमें उनका अनाज भी था जो भी खराब हो गया था। इस घटना की उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने रिपोर्ट

नहीं लिखी थी। उसने अदालत में इस्तगासा प्रदर्श पी 01 दर्ज करवाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सतवारी ने उसके लडके हितेश का पेर तोड दिया था सिजकी उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसी बात की रंजिश को लेकर मुल्जिमान ने उसका मकान तोड दिया था। उसने ढाई लाख रूपए का कमरा बनाया था जिसमें टीनशेड भी थे। उसके कुल 05 लाख रूपए का नुकसान हुआ था।

8. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वह घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में गया था लेकिन वहां पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। थाने वालों ने कहा कि तुम झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने आए हो इसलिए तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। उसने एसपी साहब को परिवाद पेश किया था। उस पर भी कार्यवाही नहीं हुई। घटना की तारीख उसे याद नहीं है। घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। वह उस समय ससुराल गया हुआ था। यह कहना सही है कि उसने कोई घटना नहीं देखी। नगर परिषद ने उन्हें यह जमीन निवास हेतु अलॉट कर रखी है, उनके पास में कोई पट्टा नहीं है। उसने उसकेक मकान की डीपीसी गिराई थी उसके फोटो पेश नहीं किए हैं। यह कहना सही है कि लेखराज व दीवान दोनों उसके भतीजे हैं। यह कहना सही है कि उसके खिलाफ भी सतवारी की डीपीसी हटाने का केस चल रहा है। यह कहना गलत है कि उसने सतवारी द्वारा उसके खिलाफ करवाए गए मुकदमें से बचने के लिए यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया हो।

9. गवाह पी0डब्ल्यू–02 लेखराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सन् 2016 की बात है। तारीख का उसे ध्यान नहीं है। सतवारी, विजेन्द्र, जोधराज तीनों भाई जेसीबी मशीन लेकर आए और भारत कुमार के बने हुए मकान को तगिरा दिया। उसका मकान करीब दो ढाई लाख रूपए का बना हुआ था जो सारा ही नष्ट हो गया उसका सामान भी टूट गया था। इस पर उसने भारत कुमार चाचा को फोन किया कि आपका मकान तोड रहे है और उसने सामान निकालने की कोशिश की पर ये उसे सामान भी नहीं निकालने दे रहे हैं। मौके पर उस समय हितेश व दीवान भी मौजूद थे। मुल्जिमान ने पिछले दो साल पहले हुई लडाई झगडे के कारण भारत कुमार का मकान तोडा था।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि घटना की तारीख आज उसे याद नहीं है, समय 3–4 बजे का था। मोके पर पूरी बस्ती एकत्रित हो रही थी। वह घटनास्थल से 150 फिट की दूरी पर था। उसने जेसीबी के नंबर नहीं देखे थे। जेसीबी 15 मिनट तक चली थी। उसे पता नहीं है कि जेसीबी नगरपालिका की थी या नहीं। यह कहना गतल है कि डीपीसी नीचे रहती हो। जेसीबी वाले ने पूरा मकान ही ढहा दिया था। यह कहना गलत है कि उसने भारत कुमार चाचा को उस

दिन घटना के बारे में कुछ नहीं बताया हो। यह कहना सही है कि मुल्जिमान की डीपीसी गिराने का मुकदमा उनके खिलाफ भी चल रहा है। यह कहना गलत है कि उस मुकदमे से बचने के लिए उन्होंने यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में परिवादी भारत कुमार के द्वारा इस्तागासा प्रदर्श पी 01 इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 12.04.2016 को फरियादी व उसकी पत्नी ग्राम बराना ससुराल जाने व उसके मकान पर ताला लगा हुआ होने व मकान में घर—गृहस्थी का सारा सामान होने व दिनांक 12.04.2016 को ही दिन के 12 बजे के आसपास मुल्जिमान के द्वारा जेसीबी मशीन लेकर आकर उसके मकान को तोडने व पूरा गिरा देने एवं उसमें रखे तीन बोरी गेहूं को मुल्जिमान के द्वारा लेकर चले जाने एवं उसे 2,50000 रूपए का नुकसान होने के बाबत् पेश किया है जिस पर न्यायालय के द्वारा मुल्जिमान के विरूद्ध धारा 436, 379 भा. दं.सं. में इस्तगासा पेश किया गया है उसमें प्रसंज्ञान नहीं लेते हुए मुल्जिमान के विरूद्ध धारा 427 भा.दं.सं. में अपराध का प्रसंज्ञान दिनांक 23.08.2016 को लिया जाना प्रकट होता है तथा पत्रावली पर यह तथ्य भी प्रकट होता है कि उस संबंध में परिवादी भारत कुमार पी.डब्ल्यू—01 के रूप में न्यायालय में परीक्षित होते हुए अपने बयानों में घटना की तारीख याद नहीं होने एवं घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं होने, उस समय ससुराल गया हुआ होने एवं उसके द्वारा घटना नहीं देखने एवं उसने उसके मकान की डीपीसी गिराई उसकी फोटो पेश नहीं करने, लेखराज व दीवान उसके भतीजे होने एवं उसके खिलाफ भी सतवारी की डीपीसी हटाने का केस चलने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार परिवादी भारत कुमार के बयानों से उक्त गवाह वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं होना प्रकट होता है तथा उक्त गवाह के द्वारा घटना नहीं देखी जाना उक्त गवाह की साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू—02 लेखराज के द्वारा अपने बयानों में घटना की तारीख याद नहीं होने एवं जेसीबी के नंबर नहीं देखने एवं उसे पता नहीं है कि जेसीबी नगर पालिका की थी या नहीं एवं मुल्जिमान की डीपीसी गिराने का मुकदमा उनके खिलाफ भी चलने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा अन्य गवाह दीवान के बयान पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं होना प्रकट होते हैं। इस प्रकार भारत कुमार वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं होना व घटना नहीं देखना भारत कुमार के बयानों से प्रकट होता है तथा लेखराज के बयानों से जेसीबी के नंबर पता नहीं होने व मुल्जिमान की डीपीसी गिराने का मुकदमा भी उनके खिलाफ चलने के तथ्य को उक्त गवाह ने जिरह में स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार मुल्जिमान के द्वारा परिवादी का मकान गिराते हुए

रिष्टी कारित की गई हो इस संबंध में किसी प्रकार के फोटोग्राफ पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होते हैं तथा उक्त मकान के कागजात भी परिवादी की ओर से पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होते हैं, जबकि परिवादी मौके पर मौजूद नहीं होना व घटना नहीं देखना परिवादी के बयानों से प्रकट होता है तथा परिवादी भारत कुमार व गवाह लेखराज के द्वारा अपने—अपने बयानों में मुलजिमान के डीपीसी गिराने का मुकदमा उनके खिलाफ चलने के तथ्य को साक्ष्य में स्वीकार किया जाना प्रकट होता है तथा रिष्टी के संबंध में मकान के फोटोग्राफस् व मलबे के फोटोग्राफ्स पेश नहीं होना प्रकट होते है। ऐसी स्थिति में मुल्जिमान के द्वारा परिवादी को किस प्रकार से रिष्टी कारित की गई इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं होना प्रकट होती है, जो साक्ष्य पत्रावली पर पेश हुई है उसके आधार पर उक्त प्रकरण डीपीसी के मुकदमें से बचने के लिए दर्ज करवाया जाना प्रकट होता है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास होना प्रकट होता है, इसलिए अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 427 भा0दं0सं0 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: <u>आदेश</u> ::—

12. परिणामतः अभियुक्तगण **01. सतवारी** पुत्र रामप्रसाद, **02. जोधराज** पुत्र रामप्रसाद, **03. विजेन्द्र** पुत्र रामप्रसाद निवासीगण तलावडा थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 427 भा0दं0सं0 के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13. अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं एवं मुल्जिमान द्वारा धारा 437ए सीआरपीसी के तहत जमानत मुचलके प्रस्तुत किए जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

14. निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY